आवश्यक

संख्या: 33/2020/1866 /12-2-2020-एफ.58/2008

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2020

विषय: कृषकों को सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 4246/12-2-2015-एफ.58/2008 टी0सी0 दिनांक 12 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषकों को सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है:-

1	जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला सहायक निबंधक	सदस्य
3	सचिव/महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक	सदस्य
4	जिला प्रबंधक, पी0सी0एफ0	सदस्य
5	उर्वरक आपूर्तिकर्ता संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
6	जिला गन्ना अधिकारी	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अच्छी वर्षा होने के कारण खरीफ, 2020 में फसलों का उत्पादन अच्छा होना सम्भावित है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में खरीफ एवं रबी फसलों के रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा उर्वरकों का वितरण, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर सही ढंग से सुनिश्चित कराते हुए प्राप्त/उपलब्ध समस्त प्रकार के उर्वरकों के आवंटन की नियमित रूप से समीक्षा कराना सुनिश्चित करें। उर्वरक की जनपद में निजी व सहकारी क्षेत्र की आवक जनपदों में होने पर इसका फुटकर लाईसेन्स विक्रेताओं में वितरण अपने पर्यवेक्षण में सहकारिता व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल कर सुनिश्चित करें, जिससे वास्तविक मांग के अनुसार ही उर्वरक की उपलब्धता रहे। साथ ही फुटकर बिक्री केन्द्रों से कृषकों का वितरण हेतु नोडल कर्मचारी भी यथावश्यक तैनात रहे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषकों को उर्वरक बिक्री वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पीओएस मशीन/आधार कार्ड का प्रयोग हो।

3. कृपया तद्नुसार उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 33/2020/ 1866 (1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।